

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of
Management Sciences[PK]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pinteau,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea, Romania

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

Iresh Swami

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yalikal
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S.KANNAN
Annamalai University, TN

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University



“भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या, आवश्यकता एवं समाधान का अध्ययन”

Dr. Satyendra Prakash

हिन्दी विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय टीकमगढ़ (म.प्र.)

Abstract

हिन्दी के वैश्विक व्यवहार एवं प्रयोग की संक्षिप्त विवेचना के साथ ही यह विवेच्य है कि जब हिन्दी को लेकर भारतीय संविधान की अनुच्छेद ३४३ (II) तथा ३४४ में राष्ट्रभाषा के प्रयोग को लेकर स्पष्ट निर्देश दिये गए थे तो देश में राजनीति से प्रेरित ये आडंबर समाप्त करते हुए हिन्दी को शीघ्र राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित किया जाना चाहिए। जैसा कि हिन्दी के संपन्नता, प्रयोग के विस्तृत क्षेत्र, विश्वव्यापी स्वरूप आदि स्पष्ट है तो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी को राष्ट्र भाषा को रूप में घोषित करें। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु प्रमुख समस्याओं के व्यवहारिक समाधान निकाले जाने चाहिए। इस संबंध में देश के शिक्षण स्तर एवं हिन्दी प्रशिक्षण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हिन्दीकी और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्यक्रमों का निर्माण एवं आयोजन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम इतने व्यापक एवं स्पष्ट होना चाहिए जिससे अहिन्दी भाषी लोगों के साथ-साथ हिन्दी भाषी लोगों का मार्गदर्शन हो सके। यह मार्गदर्शन इतना तीव्र तथा सटीक होना चाहिए कि हिन्दी समस्त भारतीयों द्वारा सर्वसम्मति से ही भारत की राष्ट्रभाषा बने। विदेशों में भी हिन्दी के वैभव्य को स्थापित करने हेतु हिन्दी विद्वानों द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाए। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, वार्तालाप कौशल एवं रचना कौशल के शिक्षण की दृष्टि से सामग्री के निर्माण की परियोजना बनायी जाए एवं उस दिशा में विद्वानों को कार्य संपन्न कराये जाए।


Key words- राष्ट्रभाषा, हिन्दी, समस्या, अंग्रेजी, इतिहास, संविधान, भारत

Introduction-

विश्व के लगभग समस्त देशों की अपनी राष्ट्रभाषा हैं परन्तु आठवीं अनुसूची के आधार पर भारत देश में बाईस भाषाओं को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हमें समझना चाहिए कि सांस्कृतिक और वैचारिक एकता का आधार बहुत हद तक भाषा होती है। किसी भी जाति या राष्ट्र में तब तक एक राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं होता जब तक उसकी अपनी भाषा न हो। “जो विरासत हमें अपने पूर्वजों से हासिल हुई, उसके आधार पर नवनिर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारे संसार में इतिहास में कहीं नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक ट्रेजिडी का विषय है।” महात्मा गांधी के इन शब्दों में इतना गहरा दर्द व्यक्त होता है कि आज भी भारतीय समाज सोचने पर विवश हो जाता है कि हम भारतीयों ने कभी भी अपनी किसी विरासत को ईमानदारी से सहेजने तथा संभालने का प्रयास नहीं किया है बल्कि अपनी जिम्मेवारियों से सगर्व विमुख होते हुए राष्ट्रीय विफलताओं के लिए कभी राजनैतिक विद्रूपताओं को, कभी सामाजिक विभिन्नताओं को तो कभी आर्थिक असमानताओं को दोषारोपित करते रहते हैं। हम स्वयं इनके लिए कितने जिम्मेवार रहे, इस पर कभी चिंतन-मनन करना भी आवश्यक नहीं समझते। आज भारत देश में कई राष्ट्रीय महत्ता के विषयों पर ज्वलंत समस्याएँ जीवित हैं, जबकि संविधान निर्माण से भी कई वर्ष पूर्व ही इन पर तर्कसंगत तथा महत्वपूर्ण संवाद प्रारंभ हो गए थे। अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण इन समस्याओं को विशेष महत्व नहीं दिया जा सका। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् इन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था परन्तु ये और अधिक उलझती गई। इसी तारतम्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है- भारतीय राष्ट्रभाषा की समस्या!

अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसी राष्ट्र को राष्ट्रभाषा की आवश्यकता ही क्यों है? तो इसके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाषा ही वह सशक्त माध्यम है, जो भावों और विचारों को अभिव्यक्त करती है। अतएव भाषा संस्कारों और संस्कृति की वाहक होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर अपने सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक वैभव को प्रदर्शित करने हेतु किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का अत्यंत महत्व होता है।

भारत एक अत्यंत समृद्ध तथा वैभवशाली



संस्कृतियों का द्योतक रहा है। इसमें कई भाषाएं, भौगोलिक विभिन्नताएं, सामाजिक संगठन, खान-पान एवं रहन-सहन की विभिन्नताएं दृष्टव्य हैं परन्तु हमारे द्वारा इस वैभव का गुणगान करना कहां तक उचित है, जबकि हमारे पास इन सबको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतीकरण हेतु कोई निज भाषा ही नहीं है। हम अभी तक किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने में अक्षम एवं असमर्थ हैं।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि-
 “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
 बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल,”

प्रो भूदेव शास्त्री ने तो लिखा है कि-“आज के मनुष्य में से यदि भाषा को हटा दिया जाए तो वह केवल पशु शेष रह जाएगा।” भाषा का भावनाओं से घनिष्ठ संबंध है। भावनाएं मनुष्य में दृढ़ता लाती हैं, अतः राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भावनात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विचार करना अति आवश्यक है।

किसी भाषा के राष्ट्रभाषा बनने हेतु आवश्यक तत्वों पर गौर करें तो प्रथम आवश्यकता होगी कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो। भाषा का किसी एक स्थान पर बहुधा प्रयोग न होकर संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग हो। उपयोग तथा सीखने की दृष्टि से भाषा सरल एवं सुलभ हो। भाषा में विकास की पर्याप्त संभावनाएं हो तथा अन्य भाषाओं की शब्दावलियों को आत्मसात करने का गुण होने के साथ-साथ ग्राम्य अथवा शहरी क्षेत्र की सीमाओं का बंधन न हो। यह कहना गलत न होगा कि कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रभाषा हमारी सामाजिक मातृभाषा है और हमारी क्षेत्रीय या पारिवारिक भाषा वैयक्तिक मातृभाषा है। जिस प्रकार हमारी वैयक्तिक मातृभाषा की उपेक्षा, परिवार के संगठन को छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा की उपेक्षा राष्ट्रीय ऐक्य के लिए विघटनकारी सिद्ध होती है।

डॉ विलियम जेम्स कहते हैं कि-“जिस देश की भाषा में जो बात प्रस्तुत नहीं की जाती, वह उस देश में फैल ही नहीं सकती। जिस देश की भाषा में सद्गुणों के शब्द नहीं होते उस देश में सद्गुण नहीं आ पाते। इसलिए किसी राष्ट्र में आदर्श की प्रस्थापना तथा देश के विकास के लिए देशीय भाषाओं का विकास परम् आवश्यक है।”

स्वतंत्रता के पश्चात् जब राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी आदि के चयन में कोई विशेष कठिनाई नहीं आयी तथा न ही इनके क्रमशः राष्ट्रीय होने से इनके अन्य समानार्थियों के विकास तथा समृद्धि में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ बल्कि ये समानार्थी भी उसी गति से प्रवाह रूप में पोषित तथा फलित हुए, जिस गति से ये सामान्यतः होते। आज भी राष्ट्रीय गीत अथवा राष्ट्रीय गान के अलावा अन्य सभी गीत, संगीत, गानें आदि चाहे वह किसी भी भाषा, प्रदेश अथवा क्षेत्र के ही क्यों न हों, न केवल पूर्ण रूप से विकसित तथा फलीभूत हुए हैं बल्कि इनका संरक्षण भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु शेर को घोषित किये जाने के बाद भी अन्य वन्य जीवों एवं पालतु पशुओं को भी उचित संरक्षण प्रदान किया गया है। इन सभी के विकास के लिए भी पर्याप्त योजनाएं संचालित हैं। जब समानार्थियों के संरक्षण एवं विकास के ऐसे जीवंत उदाहरण सामने हो तो यह देश राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर मौन क्यों है ? जब-जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो पता नहीं क्यों भारतीय राजनीति में उथल-पुथल मचनें लगती है। महाराष्ट्र से मराठी के लिए, पश्चिम बंगाल से बांग्ला के लिए, दक्षिण भारत से तमिल एवं तेलगु को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु अपने-अपने राज्यों के झण्डों तले एकत्रित हो जाते हैं तथा अन्य भाषाओं को नीचा अथवा अधम दिखाने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार के विरोध का कारण कोई राज्य प्रेम या भाषा प्रेम नहीं है। बल्कि उक्त के पीछे केवल सत्ता सुख हेतु राजनैतिक षड़यंत्र मात्र है। यदि ऐसे में कोई भाषा प्रेम होता तो उक्त लोगों के द्वारा किसी भी अन्य भाषा का चाहे वह हिन्दी हो अथवा अंग्रेजी, का निरंतर तथा हमेशा विरोध किया जाना चाहिए था परन्तु देशकाल परिस्थितियों के अनुसार ये अपने स्वभाव में परिवर्तन करते रहते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा हेतु विचारणीय है ? इसके लिए सबसे पहले भारत में तीव्र गति से श्रेष्ठ वर्ग में प्रचलन में आने वाली भाषा के बारे में विचार किया जाए तो वह है- “अंग्रेजी”, परन्तु यदि तथ्यात्मक रूप से दृष्टि डालें तो सच्चाई कुछ और ही है। यहां मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कोई अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ तथा इसके प्रयोग में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अंग्रेजी भाषा के उन अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना यथेष्ट है जिसके कारण इसको राष्ट्रभाषा बनाये जाने पर थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है। प्रथम तो यह कि अंग्रेजी केवल धनाढ्य वर्ग, प्रशासक वर्ग तथा श्रेष्ठ वर्ग की प्रमुख भाषा बन कर रह गई है तथा अधिकतम इसी वर्ग द्वारा इसका प्रमुखता से प्रयोग किया जा रहा है। इस भाषा के प्रयोग करने वालों द्वारा केवल इस भाषा के प्रयोग मात्र से ही व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। जो अंग्रेजी बोलना जानता है वह उनके स्तर का है अन्यथा नहीं। इनके द्वारा अन्य भाषाओं के प्रयोग करने वालों को हीनता की दृष्टि से देखा जाने लगता है। अन्य भाषायी समुदाय के लोगों को पिछड़ा हुआ माना जाता है। अतः जब इस भाषा के प्रयोग से लोग आपस में सामंजस्य नहीं रख पाते तो हम उसे कैसे राष्ट्रभाषा जैसे गरिमामयी स्थान पर रख सकते हैं ? उसे कैसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है, जबकि आधे से अधिक भारत गांवों तथा छोटे शहरों में निवास करता है ? यह भाषा सीखने में जितनी जटिल है प्रयोगात्मकता में उससे कहीं अधिक जटिल है। इस भाषा में पारंगत होने में अभी हमारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगीं तथा हमें अपने शिक्षा तंत्र में भी काफी परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि इसे आसानी से सीखा जा सके।

लार्ड मैकाले ने कहा था कि -“इस समय हमें अपनी और उन लाखों व्यक्तियों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषियों का काम करने वाले लोगों का वर्ग तैयार करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, ऐसा भारतीयों का वर्ग जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो पर रूचि, सम्मति और बुद्धि से अंग्रेज हो।”

मैकाले द्वारा सन् १८३६ में कही गई इस बात का अर्थ आज अधिक सार्थक प्रतीत होता है। आज संपन्न वर्ग अंग्रेजी का

बहुतायत प्रयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर आज भी कहीं न कहीं अंग्रेजियत ही शासन कर रही है। यह वर्ग आज गरीब तथा मध्यम वर्गीय भारत पर अधोषित शासन कर रहा है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा घरेलू व राष्ट्रीय स्तर पर विकास की संभावनाएँ भी अत्यंत कम हैं। नए शब्दों का आगमन भी विदेशी भाषाओं से होता है, घरेलू भाषाओं से नहीं। अतः इन उपर्युक्त तथ्यों के कारण अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु संदिग्धता दृष्ट्य है।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार की अवनति संस्कृत में देखी गई है। देववाणी के रूप में विख्यात संस्कृत से लगभग समस्त भारतीय भाषाओं का उद्भव माना गया है, साथ ही मलेशिया, स्याम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली आदि देशों की भाषाओं की आदि भाषा संस्कृत है। विश्व की लगभग समस्त भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का पाया जाना तथा कई शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत द्वारा होना, संस्कृत की संपन्नता तथा महत्व को प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त है। लाल बहादुर शास्त्री जी भाषा के प्रश्न पर कहते हैं कि “ भारतीयता को जगाने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए देश के प्रत्येक बच्चे को संस्कृत का थोड़ा न थोड़ा ज्ञान आवश्यक है।” वहीं गाडगिल जी जो कि स्वयं एक विदेशी थे परन्तु संस्कृत के महाम्य को समझते थे। गाडगिल के अनुसार- “देश की उन्नति के लिए संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन आवश्यक है, इसके बिना आत्मज्ञान की उपलब्धि हो नहीं सकती।” आयंगर जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कहा कि “संस्कृत संसार की सबसे समृद्ध भाषा है। इसमें भारतीय संस्कृति का भण्डार निहित है।”

इन सब विद्वानों के विचारों से स्पष्ट है कि ये सभी संस्कृत की आवश्यकता एवं महत्व से भली - भाँति परिचित थे। ये जानते थे कि देश की विरासत, संस्कृति तथा ज्ञान-विज्ञान को बचाने हेतु संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है, परन्तु हम भारतीयों ने पाश्चात्य संस्कृति को विकास की परंपरा मानकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। हमने धीरे - धीरे संस्कृत को देश से खत्म कर दिया। इसके लिए केवल हमारे शिक्षा तंत्र, राजनैतिक परिवेश ही अकेले जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि हम समस्त भारतीय भी समान रूप से उतने ही जिम्मेवार हैं। अब बात आती है- संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने कि तो इसमें भी अंग्रेजी के समान ही सारी समस्याएँ विद्यमान हैं क्योंकि यह अब प्रचलन से बाहर हो गयी है। अतः अब यदि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है तो लोगो को इसे सीखने हेतु अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। इस कारण इसे भी राष्ट्रभाषा बना पाना संभव नहीं हो पायेगा।

अगर उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में विचार करें तो वर्तमान में यह केवल एक धर्म विशेष की भाषा मानी जाने लगी है। जबकि स्वतंत्रता से पहले उर्दू के हिन्दुस्तानी स्वरूप को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। कचहरी तथा अधिकांश शासकीय कार्य उर्दू में ही किये जाते थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उर्दू की दुर्दशा भी अन्य भाषाओं के साथ प्रारंभ हो गयी। पहले इसे एक धर्म विशेष भाषा बताकर प्रचलन से बाहर किया गया। फिर धीरे-धीरे इसको भी गर्त में पहुँचा दिया गया। इसे राष्ट्रभाषा बनाने हेतु निश्चिंकांत चर्चाएँ कहते हैं कि- “मैं बहुत दिनों से ऐसी देशभाषा खोज रहा था जो सारे हिन्दुस्तान की भारतीय भाषा हो सके, अंत में इतिहास परंपरा और शब्द भंडार के विचार से उर्दू ही इस योग्य दिख पड़ी है।”

परन्तु उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु कुछ मूलभूत समस्याएँ भी हैं जैसे उर्दू भाषा की कोई व्याकरण नहीं है यह तो हिन्दी भाषा से पूरी तरह से प्रभावित है। राजेन्द्र लाल मित्रा कहते हैं कि “उर्दू का व्याकरण ठीक हिन्दी से मिलता है, उर्दू हिन्दी से भिन्न नहीं है।” उर्दू के प्रसिद्ध कवि वली और सौदा की भाषा तथा हिन्दी के अति प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और बिहारी लाल की भाषा में कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही आर्य-भाषा है। इसलिए हिन्दी उर्दू को अलग मानना बड़ी भूल है इसकी पद रचना, शब्द रचना, रचना नियम आदि सब हिन्दी के समान ही हैं जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ने की आशंका से ग्रस्त रहेगी। इसकी लिपि भी अरबी है, इस कारण से इसे सीखना कठिन होगा।

गिलक्रिस्ट के अनुसार-“The language at present best known as the Hindustanee, is also frequently denominated Hindi, Urdu and Rekhta. It is compound of the Arabic, Persian and Sanskrit, or Bhasha which last appears to have been in former ages the current language of Hindustan.” इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि उर्दू की विसंगतियों के कारण इसे भी राष्ट्रभाषा बनाना कठिन होगा।

इसी तारतम्य में अगर अन्य भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलगू या कन्नड़ के संदर्भ में विचार किया जाए तो हालांकि ये सभी भाषाएँ साहित्य तथा विज्ञान की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। विश्व के कुछ महानतम साहित्यकार तथा वैज्ञानिक भी इन भाषा क्षेत्रों से आये हैं। परन्तु फिर ये सभी भाषाएँ भारत में क्षेत्रीय अथवा प्रांतीय भाषाएँ मात्र बनकर रह गयी हैं। यद्यपि ये अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छे से प्रचलन में हैं तथा पूर्ण रूप से फलीभूत हो रही हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पर किसी भी प्रकार का कोई व्यापक प्रचार-प्रसार या विकास नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इनके विकास की दर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पायी है। न ही इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ पा रहा है बल्कि इनकी संप्रेषणीयता में अंग्रेजी तथा हिन्दी के विकास के कारण कमी ही आयी है। अब इन परिस्थितियों के साथ कैसे ये राष्ट्रभाषा बनायी जा सकती है जबकि भारत में इनके जानने वाले केवल कुछ प्रांतों में ही रहते हैं।

जैसा कि हम सभी को विदित है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में मंदारिन चीनी, द्वितीय स्थान पर अंग्रेजी तथा तृतीय स्थान पर हिन्दी भाषा विराजमान है। अर्थात् हमारे लिये अत्यंत गौरव का विषय है कि हिन्दी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। चीनी भाषा की लिपि समान होने पर विश्व के समस्त भाषाविदों ने चीनी की बोलियों, उपबोलियों व चीनी भाषा परिवार को जोड़कर २००७ में इसको बोलने वालों की संख्या ६०० मिलियन मानी है। संसार भर के भाषाविद हिन्दी के नाम पर सिर्फ खड़ी बोली को ही हिन्दी मानते आये हैं, जबकि वास्तविकता में हिन्दी की बोलियाँ भी इसमें शामिल की जानी चाहिए थी। उर्दू की अलग से व्याकरण न होने के कारण इसमें अधिकांश शब्द व व्याकरण व्यवस्था हिन्दी ने ही की है। अतः इसे हिन्दी से अलग मानना कतई युक्तिसंगत नहीं है। हिन्दी की बोलियों और उर्दू बोलने वालों की संख्या मिला देने से विश्व में हिन्दी जानने वालों की संख्या १०२३ मिलियन हो जाती है जो मंदारिन से अधिक है। विश्व में

भारत के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इसे सीखने वालों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। यहां तक कि विश्व के लगभग सभी बड़े देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण हेतु विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिये गए हैं या इसे सिखाने हेतु शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। विश्व के लगभग 900 देशों में या तो जीवन के विविध क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होता है अथवा उन देशों में हिन्दी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है। भारत सरकार के केन्द्रीय संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रो महावीर सरन जैन द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद अब यह विश्व स्तर पर माना गया है कि मातृभाषियों की संख्या के आधार पर हिन्दी, मंदारिन के बाद बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है।

अगर हिन्दी की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि हिन्दी का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है। अतः हिन्दी में लगभग विश्व के सर्वाधिक शब्दों का संसार व्याप्त है। जैसे कि संस्कृत में लगभग अस्सी प्रत्यय हैं जिनसे सार्थक शब्द रचनाएं होती हैं।

जैसे गम् धातु से गति, गंतव्य, गम्य, गमनीय, गमक, गम्यमान, गमिष्यन्, गन्विका, गमनिका आदि। इन प्रत्येक शब्दों के एक-एक शब्द में उनसर्ग लगने से बीस-बीस सार्थक शब्द बनते हैं। जैसे - ‘गति’ शब्द में उपसर्ग लगाने से प्रगति, परागति, प्रतिगति, अनुगति, अधिगति, परिगति, अपगति, अतिगति, जागति, अवगति, उपगति, उद्गति, सुगति, संगति, निर्गति, विगति, निगति, दुर्गति, अविगति, अभिगति।

इस तरह एक धातु से अस्सी प्रत्यय और उनमें उपसर्ग लगाने से बीस-बीस भेद। इस तरह कुल सोलह सौ शब्द, और ऐसी संस्कृत भाषा में दो हजार धातुएं हैं। उनके बत्तीस लाख शब्द निर्मित होंगे। शेष हर प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को इसमें जोड़ें तो इनकी संख्या लगभग चार करोड़ सैंतालीस लाख चौसठ हजार हो जाती है। इसके बाद यदि दो शब्दों के समस्त पद तीन चार शब्दों के समस्त पदों को मिलाया जाए तो दो-दो, तीन-तीन उपसर्गों का योग आदि के द्वारा बनाए गए विभिन्न रूपों को गिना जाए तो इन निर्मित शब्दों की संख्या लगभग एक अरब से अधिक पहुंच जाती है और ये सारे शब्द एक दूसरे से भिन्न तथा पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाले सार्थक शब्द होते हैं। कहा गया है कि-“ अनन्तपारं किलं शब्द शास्त्रं”। इस प्रकार हिन्दी विश्व में सर्वाधिक शब्दावली वाली भाषा है। इसके साथ साथ हिन्दी देश में सर्वाधिक लोगों की मातृभाषा है, कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी को जानने वाले सर्वाधिक हैं। हिन्दी को दिये गए संरक्षण तथा प्रचार प्रसार के कारण यह अब लगभग सारे देश में समान रूप से बोली तथा समझी जाने लगी है। इसे सीखना सरल है तथा इसके व्याकरणिय नियम, ध्वनियां आदि अत्यंत संपन्न हैं। इन सभी कारणों से हिन्दी को शीघ्र ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- १ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, दिसंबर १९०६
- २ उर्दू राष्ट्रभाषा, रामचंद्र शुक्ल, चिन्तामणि भाग ४
- ३ हम हिन्दी हिन्दी क्यों चिल्लाते हैं।, चिन्तामणि भाग ४
- ४ हिन्दी और हिन्दुस्तानी, चिन्तामणि भाग ४
- ५ हिन्दी भाषाओं पर अन्य भाषाओं का प्रभाव, अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’
- ६ भारतीय राष्ट्रभाषा: समस्याएं तथा सीमाएं,
- ७ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, महात्मा गांधी



Dr. Satyendra Prakash

हिन्दी विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय टीकमगढ़ (म.प्र.)

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org